



## संपादकीय

## तेल की बढ़ती कीमतें

पेट्रोल की कीमत दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, तो यह अभी बहुत चिंता की न सही, लेकिन विचार की बात जरूर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों बैंक दरों में कोई बदलाव न करते हुए यह जाहिर कर दिया था कि वह बढ़ती महंगाई को रोकने के पक्ष में नहीं है और अब तेल कंपनियों द्वारा लगातार कीमत में बढ़ावारी यह बता रही है कि केंद्र सरकार भी अभी महंगाई के प्रति गंभीर नहीं है। तभी तो लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ावारी की मंजिमत आई। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 83.71 रुपये प्रति लीटर हो गई। इडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, डीजल की कीमत भी संशोधित करते हुए 73.87 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। दिल्ली में सितंबर 2018 में पेट्रोल-डीजल की कीमतें इसी ऊंचाई पर थीं। करीब दो महीने के बाद तेल कंपनियों ने 20 नवंबर से तेल की कीमतों में देनिक संशोधन शुरू किया है और असर साफ दिख रहा है। पिछले 16 दिनों में ही पेट्रोल की कीमत 2.37 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3.12 रुपये प्रति लीटर बढ़ी है। गैर करने की बात है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 90.34 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 80.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता व चेन्नई में भी पेट्रोल-डीजल की कीमत में दिल्ली के मुकाबले ज्यादा बुद्धि दिख रही है। सरकारी नीति के तहत सारांशिक तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और विदेशी विनियोग दर के आधार पर प्रतिदिन पेट्रोल व डीजल की दरों में संशोधन करती है। इन कंपनियों को दी गई इस ताकत के बावजूद केंद्र सरकार की अपनी भूमिका है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। वैसे आज सरकार के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना मजबूरी भी है, क्योंकि कोरोना के समय में उसकी कमाई घटी है और विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए धन चाहिए। पेट्रोल-डीजल से मिलने वाले राजस्व से सरकार को बल मिलता है। चूंकि नया टैक्स लगाना आसान नहीं उसमें अलोकप्रियता का खतरा होता है, इसलिए सरकार को पेट्रोल-डीजल के जरिए कमाई ज्यादा मुश्किल लगाती रही है। जैसे-जैसे पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं, वैसे-वैसे सरकार की कमाई भी बढ़ती है। किसानों और उत्पादकों को बल देने के लिए भी महंगाई को जरूरी बताया जा रहा है। कोरोना के प्रभाव में एक समय ऐसा आ गया था, जब रोजमर के सामान की कीमतें घटने लगी थीं। खुदरा मूल्य अलापाकारी होने लगे थे। ऐसे में, महंगाई बढ़ने देना आर्थिक सुधार का एक उत्पाय है। हालांकि, यह विशेष विद्या के विषय है कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से असरी उत्पादकों को बावजूद कीमतों को बढ़ाना लाभ होगा? इस पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की वजह से तेल कंपनियों को मूल्य में बढ़ावारी करनी पड़ रही है। ऐसे में, सवाल बड़ा है, कीमत को कहां तक बढ़ने दिया जाएगा? पेट्रोल-डीजल की कीमत अगर ज्यादा बढ़ेगी, तो जाहिर है, महंगाई को सीधे बल मिलेगा, लेकिन सरकार को देखना होगा कि कोरोना व लॉकडाउन से ऋत्स लोग महंगाई को किस हद तक झेलने की स्थिति में हैं। लोग हाथ, सबको यह भी सोच लेना चाहिए कि भारत बंद से महंगाई घटेगी या बढ़ेगी।

आज के ट्वीट  
रिथ्मि

दियल एस्टेट सेवटर की क्या स्थिति थी इससे हम भलीभांति परिचित हैं। घर बनाने वालों और घर खानादारों के बीच भरोसे की एक खाई आ चुकी थी। कुछ गलत नीयत वाले लोगों ने पूरे दियल एस्टेट को बदनाम करके रखा था, हमारे मध्यम वर्ग को प्रेशान करके रखा था: PM

## ज्ञान गंगा

## अनुभव

आवार्य रजनीश ओशो/ मैं एक आदमी को देखा जो ग्यारह वर्षों से खड़ा हुआ है। उनका नाम ही खड़ेश्री बाबा हो गया है। मैंने पूछा, लेकिन इस आदमी पर क्या मुसीबत आ पड़ी? यह खड़ा वह्य हो गया? मेरे द्वाइवर एक सरकार जी थे, बड़े जानी थे। गाढ़ी कम चलाते थे, जपुंजी ज्यादा पढ़ते थे। बोले कि कुछ नहीं हुआ, इक्की पनी ने इससे कहाँ खड़े रहो और युद्ध किसी दूसरे पक्ष के साथ भग गयी। तब से यह बेचारा खड़ा है। अब कोई इसको बिठाए तो बैठे। धर्म धर्म है, उसका पालन तो करना ही पड़ता है। पल्ली किसी और को अप्यास करवा रही है। खड़ा-न्युअल कांत के लिए मैं कोई आलोचना नहीं करता, लेकिन तमसे मैं यह कहता हूँ कि अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई प्रकाश की जरा सी भी किण्णा दिखाई पड़े, सुगंध की कोई जरा सी झाँकें, तो वहाँ दिशा है, वही मार्ग है। फिर हिम्मत करना, फिर रुकना मत। सोचने का काम बाहर में कर लेंगे। और यह मरा अनुभव है कि जो इस रस्ते पर बढ़ते हैं, उन्होंने फिर सोचने की कोई जरूरत नहीं समझी। क्योंकि हर अनुभव और गहरा होता गया। हर अनुभव नई छलांग, नई चुनौती और नये परिवर्तन और नई-नई क्रांति पर ले जाता रहा। तो जो तुम्हें हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। योग्या मत। सोचने से रु के जाएगा। क्योंकि किसानों को बाजार में अधिक धूमधारी हो रही है। और बुद्धि और हृदय का कोई बेटा तो बुद्धि तुम्हें पागल कहेंगी कि यह वर्ता पागलपन है कि शरीर में झारझारी आ रही है। जाओ कि सोसी डाक्टर को दिखाओ। यह क्या पागलपन है? विं अंकें बैठे-बैठे सूखा रुद्ध हो रहे हैं। इसका जरूर नहीं करना दर्शाता है रहे हैं। सरकार के सामने दोतरफा चुनौती है। समर्थन मूल्य के बावजूद किसानों की आय में बुद्धि बहुत ही कछुआ चाल से हो रही है। सोंटर फार मानिटरिंग और



## कानून के समक्ष समता-संरक्षण की मांग



## अनुप भट्टनागर

तीन तलाक की प्रथा को असंवेदनिक करना देखे गाले उच्चतम न्यायालय में अब इस समुदाय में एक से ज्यादा पनीयों की प्रथा का मुद्दा पहुंचा है। यह मुद्दा मुख्य रूप से पहली पनी के रहते हुए दूसरा विवाह करने को देखा जाता है। न्यायालय के देश में दंडनीय कानून में क्या इस तरह का प्रावधान किया जा सकता है जो एक वर्ग के कृत्य के लिये दंडनीय हो और दूसरे वर्ग के लिये दंडनीय नहीं हो। याचिका के अनुसार, 'धार्मिक परंपरा के आधार पर किसी भी वर्ग के कृत्य के लिये दंडनीय हो जाएगा। धारा 494 के तहत इसका धर्म के आधार पर भेदभाव करके दूसी शादी करता है तो ऐसी शादी अमान्य होगी और ऐसा करने वाला हिन्दू पति धारा 494 के तहत एक धर्म की विशेषता के रूप में दर्शाया जायेगा। न्यायालय से ज्यादा होगा। धारा 494 के तहत इसका धर्म के आधार पर भेदभाव करके दूसी शादी करता है तो ऐसी शादी अमान्य होगी और ऐसा करने वाला हिन्दू पति धारा 494 के तहत एक धर्म की विशेषता के रूप में दर्शाया जायेगा। न्यायालय के दंडनीय कानून में क्या इस तरह का विवाह करना दर्शाया जायेगा। धारा 494 के तहत इसका धर्म के आधार पर भेदभाव करके दूसी शादी करता है तो ऐसी शादी अमान्य होगी और ऐसा करने वाला हिन्दू पति धारा 494 के तहत एक धर्म की विशेषता के रूप में दर्शाया जायेगा। न्यायालय के दंडनीय कानून में क्या इस तरह का विवाह करना दर्शाया जायेगा। धारा 494 के तहत इसका धर्म के आधार पर भेदभाव करके दूसी शादी करता है तो ऐसी शादी अमान्य होगी और ऐसा करने वाला हिन्दू पति धारा 494 के तहत एक धर्म की विशेषता के रूप में दर्शाया जायेगा। न्यायालय के दंडनीय कानून में क्या इस तरह का विवाह करना दर्शाया जायेगा। धारा 494 के तहत इसका धर्म के आधार पर भेदभाव करके दूसी शादी करता है तो ऐसी शादी अमान्य होगी और ऐसा करने वाला हिन्दू पति धारा 494 के तहत एक धर्म की विशेषता के रूप में दर्शाया जायेगा। न्यायालय के दंडनीय कानून में क्या इस तरह का विवाह करना दर्शाया जायेगा। धारा 494 के तहत इसका धर्म के आधार पर भेदभाव करके दूसी शादी करता है तो ऐसी शादी अमान्य होगी और ऐसा करने वाला हिन्दू पति धारा 494 के तहत एक धर्म की विशेषता के रूप में दर्शाया जायेगा। न्यायालय के दंडनीय कानून में क्या इस तरह का विवाह करना दर्शाया जायेगा। धारा 494 के तहत इसका धर्म के आधार पर भेदभाव करके दूसी शादी करता है तो ऐसी शादी अमान्य होगी और ऐसा करने वाला हिन्दू पति धारा 494 के तहत एक धर्म की विशेषता के रूप में दर्शाया जायेगा। न्यायालय के दंडनीय कानून में क्या इस तरह का विवाह करना दर्शाया जायेगा। धारा 494 के तहत इसका धर्म के आधार पर भेदभाव करके दूसी शादी करता है तो ऐसी शादी अमान्य होगी और ऐसा करने वाला हिन्दू पति धारा 494 के तहत एक धर्म की विशेषता के रूप में दर्शाया जायेगा। न्यायालय के दंडनीय कानून में क्या इस तरह का विवाह करना दर्शाया जायेगा। धारा 494 के तहत इसका धर्म के आधार पर भेदभाव करके दूसी शादी करता है तो ऐसी शादी अमान्य होगी और ऐसा करने वाला हिन्दू पति धारा 494 के तहत एक धर्म की विशेषता के रूप में दर्शाया जायेगा। न्यायालय के दंडनीय कानून में क्या इस तरह का विवाह करना दर्शाया जायेगा। धारा 494 के तहत इसका धर्म के आधार पर भेदभाव करके दूसी शादी करता है तो ऐसी शादी अमान्य होगी और ऐसा करने वाला हिन्दू पति धारा 494 के तहत एक धर्म की विशेषता के रूप में दर्शाया जायेगा। न्यायालय











